—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— **ब्रह्मलाल जाट (आर0ए0एस0)**
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

प्रकरण संख्या :— **02/202017**

उनवान प्रकरण

महेश कुमार शर्मा , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी धौलपुर राज0

..............................आवेदक

बनाम

राजू पुत्र श्री अवध सिंह ,उम्र 40 वर्ष , जाति त्यागी , ग्राम बीच का पुरा , पो0 बसईकारे धौलपुर

................अभियुक्त

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51
एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :—

आवेदक की ओर से :— श्री महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
अभियुक्त की ओर से :— स्वंय (असालतन)

निर्णय

दिनांक — 09.02.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री महेश कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 12.02.2016 को दोपहर 12.00 बजे मांगरोल धौलपुर पर पहुँचा वहॉ दूध ले जाती बूलेरो पिकअप टैंकर को रोक कर उसको अपना परिचय देकर उसके नाम व पता पूछे पर उसने स्वंय को राजू पुत्र श्री अवध सिंह ,उम्र 40 वर्ष , जाति त्यागी , ग्राम बीच का पुरा , पो0 बसईकारे धौलपुर बताया एवं स्वंय को टैंकर में स्थित मिश्रित दूध का मालिक होना बताया, मौजूद टैंकर में मिश्रित दूध को आम जनता को विकय हेतु बताया को मैंने खाद्य अनुज्ञापत्र 2016 दिखाने को कहा तो उसने अनुज्ञा पत्र न होना जाहिर किया ।

उक्त निरीक्षण करने पर पाया कि टैंकर में लगभग 400 लीटर मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर उसमें से 2 लीटर दूध को नमूना जॉच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता राजू पुत्र श्री अवध सिंह को रू. 50/-(पचास रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने किये । मौके पर फार्म संख्या 5 (ए) की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर ,सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राजू पुत्र अवध सिंह ने पढकर, समक्षकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये । फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मिश्रित दूध को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी कांच की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा दूध को प्रत्येक बोतल में बराबर-बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 40-40 बूंदें डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बंद किया गया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी-988 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम ,पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, आदि दर्ज कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये । चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी-988 नियमानुसार चारों नमूना भागों को चिपकाकर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहूँचकर फार्म vi की छः प्रतियॉ तैयार कर प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सी बन्द किये । एक नमूना भाग मय फार्म संख्या vi की एक प्रति चिपकाकर एवं सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक 177 दिनांक 27.04.16 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/140/एसीटी/2016/147 दिनांक 01.03.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया मिश्रित दूध अवमानक (Substandard) प्रकृति का पाया गया । उक्त केस में मिश्रित दूध अवमानक (Substandard) का विक्रय करके विक्रेता राजू पुत्र श्री अवध सिंह ,उम्र 40 वर्ष , जाति त्यागी , ग्राम बीच का पुरा , पो0 बसईकारे धौलपुर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का है जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है । अतः प्रकरण में उचित जुर्माना करने का अनुरोध किया है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी को उक्त प्रकरण में उसके पते पर नोटिस क्रमांकःकोर्ट/2017/87 दिनांक 21.1.2017, 44 दिनांक 31.01.2018 दो बार नोटिस भेजे गये परन्तु अप्रार्थी का सही पता नहीं होने के कारण नोटिस अदम तामील प्राप्त हुये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी से रिपोर्ट ली गई तो उसने बताया कि उक्त पते पर इस नाम का व्यक्ति नहीं मिला एवं सम्बन्धित गॉव की वोटर लिस्ट देखकर भी उक्त व्यक्ति का पता नहीं चल सका ।

-: राजस्थान सरकारः-

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं0 02/2017 सरकार बनाम राजू पुत्र श्री अवध सिंह

हमने पैरोकार सरकार को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। पैरोकार सरकार की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध नोटिसों पर अंकित तामील रिपोर्ट से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने वक्त मौका निरीक्षण फर्द रिपोर्ट में अपना नाम व पता सही अंकित नहीं कराया । जिससे अप्रार्थी के नोटिस अदम तामील प्राप्त हुये । अतः हम अप्रार्थी का सही नाम व पता न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर निर्णित किया जाना उचित समझते है ।

अतः राजू पुत्र श्री अवध सिंह ,उम्र 40 वर्ष , जाति त्यागी , ग्राम बीच का पुरा, पो0 बसईकारे धौलपुर के विरूद्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है । श्री महेश कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने वक्त निरीक्षण कार्यवाही बूलेरो पिकअप टैंकर गाडी का नम्बर नहीं लिया जिससे अप्रार्थी की पहचान नहीं हो सकी । इस बावत् सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा अधिकारी का स्पष्टीकरण लिया जावें । बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)